

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं. 53/2018

प्रार्थी-

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा
बालोतरा औद्योगिक सम्पदा
जिला बाड़मेर
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. मैसर्स महिमा सिथेंटिक प्रा. लि.,
एफ-270, तृतीय फेज औद्योगिक क्षेत्र
बालोतरा जरिये डायरेक्टर पृथ्वीराज
चौपड़ा पुत्र सोहनराज चौपड़ा, आदेश्वर
नगर वार्ड नं. 05 बालोतरा, जिला
बाड़मेर
2. श्री अरविन्द कुमार चौपड़ा पुत्र
सोहनराज चौपड़ा, बाड़मेर कलैण्डर रोड़,
राईका समाज के पास, आदेश्वर नगर,
बालोतरा जिला बाड़मेर
3. नरेश कुमार चौपड़ा पुत्र सोहनराज
चौपड़ा, लालजी का मन्दिर, श्रीमालियों
का चौक, वार्ड नं. 12 बालोतरा जिला
बाड़मेर
4. श्री प्रिस चौपड़ा पुत्र सुरेश कुमार
चौपड़ा, श्रीमालियों का चौक, वार्ड नं. 12
बालोतरा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002


उपस्थिति :-

श्री सुश्री ममता राठी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 22/01/2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों
का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002


जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर



के तहत अप्रार्थीगण मैसर्स महिमा सिंथेटिक प्रा.लि. व अन्य के विरुद्ध पेश किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स महिमा सिंथेटिक प्रा.लि. व अन्य की प्रार्थना पर एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 की व्यक्तिगत जमानत पर प्रतिभूतियों के एवज में कुल 3,50,00,000/- रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण सुविधा की राशि एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना स्वीकार किया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के रूप में सम्पत्ति यथा एफ 270 तृतीय फेज औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा जिला बाड़मेर कुल क्षेत्रफल 4403.34 वर्ग मीटर, बैंक रिकॉर्ड के अनुसार मैसर्स महिमा सिंथेटिक प्रा. लि. के नाम स्थित भूमि एवं भवन सहित को प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक 18.02.2017 को साम्यिक बन्धक रहन किया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.04.2018 तक बकाया शेष रुपये 3,20,83,009.18/- भुगतान नहीं करने पर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी किये तथा नोटिस का समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया। प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के कब्जे व स्वामित्व में है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे में लेना सम्भव नहीं है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 3,50,00,000/- ऋण





जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी है एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 से दिनांक 30.04.2018 तक कुल 3,20,83,009.18/- बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है तथा समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 से 4 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त सम्पत्ति एफ 270 तृतीय फेज औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा जिला बाड़मेर कुल क्षेत्रफल 4403.34 वर्ग मीटर, बैंक रिकॉर्ड के अनुसार मैसर्स महिमा सिंथेटिक प्रा. लि. के नाम स्थित भूमि एवं भवन सहित का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक-एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(हिमांशु गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर